मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार विभाग

पोलीटेकनिक महाविद्‍यालयों में तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रवेश नियम

सत्र 2025-26

1	शासकीय (Government) क्षेत्र के अंतर्गत:- मध्यप्रदेश राज्य शासन द्‍वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्‍यालयों] शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्‍यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्‍यालयों, विश्वविद्‍यालयीन संस्थाओं में तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु।	पृष्ठ 02-15
2	निजी (Private) क्षेत्र के अंतर्गत:- निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु	पृष्ठ 16-29
3	विभिन्न प्रारूप	पृष्ठ 30-41
4	पाठ्यक्रमों की जानकारी एवं संस्थावार/ब्रांचवार उपलब्ध सीटों की संख्या	पृष्ठ 42-55
5	Branches Abbreviations	पृष्ठ 55-56

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

सतपुड़ा भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयीन संस्थाओं तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में सत्र 2025-26 से प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम

1.1 <u>सामान्य:</u>

ये नियम मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयीन संस्थाओं तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम कहलायेंगे।

1.2 <u>परिभाषायें:</u>

इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः-

1. श्रेणीः का तात्पर्य है इन चार श्रेणी अनारक्षित **(UR)**, अनुसूचित जाति **(SC)**, अनुसूचित जनजाति **(ST)**, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) **(OBC)** में से एक।
2. सक्षम प्राधिकारी (स.प्रा.) का तात्पर्य है जिसको मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है।
3. प्राचार्यः का तात्पर्य है संस्था प्रमुख।
4. मध्यप्रदेश (म.प्र.) का तात्पर्य है म.प्र. राज्य जो 01.01.2000 को अस्तित्व में आया।
5. अ.भा.त.शि.प.: का तात्पर्य है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली।
6. "व्यावसायिक संस्थान" से अभिप्रेत है ऐसी संस्थायें जो इंजीनियरिंग, टेक्नालॉजी, फार्मेसी तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को संधारित करती है।
7. आयुक्त का तात्पर्य है आयुक्त, तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. कुलगुरु का तात्पर्य है कुलगुरु राजीव गांधी प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल।
9. वर्ग का तात्पर्य है इन चारों वर्गों सैनिक **(S)**, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी **(FF)**, दिव्यांगजन **Divyangjan (D)**, बिना वर्ग **(X)** में से एक।
10. **"OP" (OPEN)** सीटों से अभिप्रेत है महिला या पुरूष अभ्यर्थी।
11. **"F" (FEMALE)** सीटों से अभिप्रेत है महिला अभ्यर्थी।
12. **"TFW"** से तात्पर्य “शिक्षण शुल्क छूट योजना सीट“ है।

"EWS" से तात्पर्य “मध्यप्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी’’ है।

1.3 <u>लागू होनाः-</u>

ये नियम, मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयीन संस्थाओं तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु लागू होंगे।

1.4 <u>प्रवेश नियमः-</u>

समस्त संस्थाओं में प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी-

1.4.1 <u>स्थानों की उपलब्धता</u>

संस्थाओं में उपलब्ध सीटें:-

स.क्र.	संस्था का प्रकार	प्रवेश क्षमता का प्रतिशत सत्र 2025-26 के लिये
1	मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयीन संस्थायें।	95 प्रतिशत मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये सीटें 5 प्रतिशत अनिवासी भारतीय सीटें (अनिवासी भारतीय सीटें रिक्त रहने पर म.प्र. सीटों में परिवर्तित)

(क) विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की अद्यतन जानकारी परामर्श **(Counselling)** संचालित करने वाले सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट **<u>https://dte.mponline.gov.in</u>** पर उपलब्ध कराई जावेगी।

(ख) यदि किसी नई संस्था को अनुमति प्रदान की जाती है, या किसी विद्यमान संस्था में नवीन ब्रांच या विद्यमान ब्रांच की प्रवेश क्षमता में परिवर्तन की जाने की अनुज्ञा उस वर्ष समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है, तो उसे परामर्श (काउंसलिंग) में समाविष्ट किया जा सकेगा, बशर्ते कि संस्था ने संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता तथा राज्य सरकार से अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो।

(ख-1) विद्यमान संस्था/पाठ्यक्रमों की निरंतरता अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली एवं संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान नहीं की जाती है तो ऐसी संस्थाओं को काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जायेगा।

1.4.2 <u>स्थानों का आवंटन/आरक्षण</u>

मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, शासकीय महाविद्यालयों, अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयीन संस्थाओं में प्रवेश हेतु **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणियों के लिए क्रमशः 16, 20 तथा 14 प्रतिशत सीटों का आरक्षण** रहेगा। यदि उत्तरोत्तर चरण की काउंसिलिंग आयोजित की जाती है तब पिछले चरण के उपरान्त विभिन्न श्रेणियों में रिक्त स्थानों को नियमानुसार पुनः परिवर्तित **(Redistribution)** किया जावेगा।

<u>टिप्पणी :</u>

(अ) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से उम्मीदवार केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है।

(ब) जिस श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारुप में परामर्श **(Counselling)** के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

1.4.2.1 मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी:-

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) अथवा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित **<u>प्रारुप-1</u>** में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7-2/96/अ.प्र./एक, दिनांक 01 अगस्त, 1996 तथा शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश देखें।)

1.4.2.2 मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर)(OBC) श्रेणी :-

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिये गए निर्धारित **<u>प्रारुप-2</u>** में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र **30 अप्रैल 2022** के पूर्व जारी किया गया हो तो उम्मीदवार को परिवार की कुल वार्षिक आय का नवीनतम आय प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो अथवा आय प्रमाण पत्र संबंधी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25-09-2014 को जारी निर्देशानुसार आय बाबत् स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र <u>प्रारुप-10</u> में परामर्श के समय प्रस्तुत करना होगा । (देखें मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7-2/96/अ.प्र./एक, दिनांक 12 मार्च, 1997 एवं आदेश क्रमांक एफ-7-16-2000/अ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 06-07-2000 तथा शासन द्वारा क्रीमीलेयर के संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश।

1.4.2.3 क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation)

शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में

अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दिव्यांग, एनसीसी वर्ग एवं महिला उम्मीदवारों के लिये स्थान आरक्षित रहेंगे।

जबकि विश्वविद्यालयीन संस्था में केवल महिला एवं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए प्रत्येक श्रेणी में स्थान आरक्षित रहेंगे।

1.4.2.3.1 सैनिक वर्ग (S)**:-**

सैनिक वर्ग के उम्मीदवारों के लिये 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा। सैनिक वर्ग में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत् प्रतिरक्षा कर्मचारी तथा ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी हैं जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से दिव्यांग हो गये हो। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले उम्मीदवार को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि, वह मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित भूतपूर्व सैनिक का पुत्र/पुत्री है। भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता हैं। भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने पिता/माता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण-पत्र निर्धारित **प्रारुप-3 भाग (अ)** में तथा अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण-पत्र **प्रारुप-4** में, संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (पूर्व का पदनाम सचिव जिला सैनिक बोर्ड) से प्राप्त कर प्रस्तुत करने होंगे।

अथवा

वह मध्यप्रदेश के बाहर पदस्थ ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है, जो मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी है। (प्रमाण-पत्र **प्रारुप-3 भाग(ब)** में) उम्मीदवार को अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी होने संबंधी प्रमाण-पत्र **प्रारुप-6** में प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवार को दोनों प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हैं।

अथवा

वह **1 जनवरी 2025** को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है (प्रमाण-पत्र प्रारुप-3 भाग(ब) में)।

टिप्पणी: सैनिक वर्ग के अंतर्गत किसी उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण मध्यप्रदेश द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

1.4.2.3.2 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग (FF):

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के उम्मीदवारों के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा ।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उन पुत्रों/पुत्रियों एवं पौत्रों/पौत्रियों/नातियों/नातिनों को प्रवेश की पात्रता होगी जो नियम पुस्तिका के अनुसार मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी होने की शर्त पूर्ण करते हैं। इस नियम के प्रयोजन के लिये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य यह है कि उसका नाम मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्ट्रेट में रखी हुई सूची में पंजीकृत हैं।

टिप्पणी : स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को मध्यप्रदेश के संबंधित जिले कलेक्टर से **प्रारूप-5** मे प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। केवल कलेक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र ही उम्मीदवार का इस वर्ग का होने संबंधी एक मात्र वैध प्रमाण पत्र होगा ।

1.4.2.3.3 दिव्यांग उम्मीदवारों की सीटें (Seats for Differently Abled Persons):-

40 एवं उससे अधिक प्रतिशत **दिव्यांगता** वाले **दिव्यांग** उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने की शर्त को पूर्ण करते हों, के लिए ब्रांचवार प्रवेश क्षमता में 3 प्रतिशत सीटों का क्षैतिज **(Horizontal)** आरक्षण समस्त श्रेणियों यथा अनारक्षित **(UR),** अनुसूचित जाति **(SC),** अनुसूचित जनजाति **(ST),** अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) **(OBC)** में उपलब्ध रहेगा।

टिप्पणी :-

1. यदि क्षैतिजीय आरक्षण के विरूद्ध **दिव्यांग** उम्मीदवार के अनुपलब्ध होने पर सीट रिक्त रहती है तो ऐसी सीटों को उसी श्रेणी के Nil वर्ग (बिना वर्ग, X) में परिवर्तन किया जा सकेगा।

2. इन सीटों के विरूद्ध प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को निम्नांकित दोनों प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से काउंसिलिंग (परामर्श) के दौरान ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा-

(अ) जिला चिकित्सा मंडल द्वारा दिव्यांगता प्रमाण-पत्र; तथा

(ब) अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, दिव्यांगों हेतु, नेशनल कैरियर सर्विस सेन्टर, नेपीयर टाउन, जबलपुर (म.प्र.) (Superintendent, National Career Service Center for Differently Abled, Napier Town, Jabalpur, Madhya Pradesh.Pradesh) द्वारा जारी पाठ्यक्रम

पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा जिसमें पाठ्यक्रम एवं संकाय (ब्रांच) का उल्लेख होना अनिवार्य है।

1.4.2.3.4 एन.सी.सी. "बी" प्रमाण पत्र उत्तीर्ण उम्मीदवारों हेतु आरक्षण: -

मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, के आदेश क्रमांक 758/2730/2009/42-2 भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश के एन.सी.सी. **"बी"** प्रमाण पत्र (**B-Certificate**) धारक उम्मीदवारों के लिए 02 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

बिना वर्ग (Nil Class) (X) : जो उम्मीदवार उपरोक्त वर्गों में से किसी भी एक वर्ग के अंतर्गत प्रवेश का उम्मीदवार नहीं होगा, उसे उसकी संबंधित श्रेणी के अंतर्गत "बिना वर्ग" (X) का उम्मीदवार माना जावेगा।

1.4.2.3.5 महिला (Female) उम्मीदवारों हेतु आरक्षण

स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में समस्त सीटें मध्यप्रदेश की महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेगी परन्तु सह शिक्षा पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में मध्यप्रदेश की महिला उम्मीदवारों हेतु प्रत्येक श्रेणी एंव वर्ग के अंतर्गत 30 प्रतिशत सीटों का "कम्पार्टमेंटलाइज्ड" क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध होगा।

मध्यप्रदेश की महिला उम्मीदवारों के लिये आरक्षण यथासंभव संस्थावार एवं ब्रांचवार होगा। महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में सिर्फ महिला उम्मीदवार को ही पात्रता होगी, किन्तु मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना क्रं./एफ-5-5/2007/42/1, दिनांक 10-02-2009 द्वारा राज्य की शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय छिन्दवाड़ा, होशंगाबाद, खरगौन, बुरहानपुर, सागर, पन्ना, नरसिंहपुर एवं भिण्ड को सहशिक्षा में परिवर्तित किया गया है तथा यह निर्णय लिया गया है, कि समस्त पात्र महिला उम्मीदवारों को प्रवेश देने के उपरान्त यदि कोई स्थान रिक्त रहते हैं तो उन्हें पुरूष उम्मीदवारों से भरा जावेगा।

किसी भी श्रेणी के अंतर्गत किसी वर्ग में महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उस वर्ग की पात्रता के पुरूष उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जावेगा।

1.4.2.4 जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग (J & K Migrants Seats) हेतु स्थानों का आरक्षण:-

समस्त शासकीय/स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के प्रत्येक संकाय (ब्रांच) में स्वीकृत प्रवेश क्षमता की एक सीट कश्मीरी विस्थापित परिवार के पुत्र/पुत्रियों के लिए आरक्षित रहेगी। शासन द्वारा अनुदान प्राप्त संस्थानों में एक-एक सीट प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त अधिसंख्या के (Over and Above) आधार पर उपलब्ध रहेगी। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को निर्धारित **<u>प्रारुप-7</u>** में जम्मू एवं कश्मीर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

इसी वर्ग के अंतर्गत मध्यप्रदेश सेवा के ऐसे अधिकारियों एंव कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण में रही हो और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू एंव कश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को भी आरक्षित स्थानों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता होगी। ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित **प्रारूप-8** में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

1.4.2.5 शिक्षण शुल्क छूट योजना के अंतर्गत उपलब्ध सीट

(Tution Fee Waiver Scheme)

ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा शासित संस्थायें जिसमें गत वर्ष न्यूनतम 50 प्रतिशत प्रवेश हुये हों, ऐसी समस्त संस्थाओं में तीन वर्षीय, डिग्री, डिप्लोमा एवं पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क में छूट की योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी जिसमें प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अधिसंख्य रूप से उपलब्ध होंगे। ऐसे अभ्यर्थी, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय रुपये 8.00 (आठ) लाख रूपये से अधिक न हो, इन स्थानों के लिए प्रवेश हेतु पात्र होंगे। शिक्षण शुल्क में छूट की योजना के अंतर्गत रियायत केवल शिक्षण शुल्क की राशि जैसा कि शासन/प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित की गई हो, तक सीमित होगी और शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य समस्त शुल्क अभ्यर्थियों व्दारा वहन किए जाएंगे। इस श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर, ये स्थान अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरे जाऐंगे। इस श्रेणी के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में अपनी ब्रांच या संस्था परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा। इन स्थानों पर प्रवेश के सभी चरणों में परामर्श (काउंसलिंग) की जावेगी। प्रवेश प्रक्रिया उसी प्रकार से होगी, जैसी कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाए। **इस योजना के अधीन केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी ही प्रवेश के पात्र होंगे।**

1.4.2.6 मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी हेतु आरक्षण:-

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 02 जुलाई 2019 के अनुसार स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 10% (दस प्रतिशत) स्थान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) अभ्यर्थियों हेतु उपलब्ध होंगे।

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित **प्रारुप-11** में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 02 जुलाई 2019 तथा शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश एवं सीटों के संबंध में अखिल

भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा जारी अप्रूवल प्रोसेस हेण्डबुक में दिये गए प्रावधान देखें)।

1.4.2.7 मध्यप्रदेश राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तथा गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के व्यक्तियों के पुत्र/पुत्रियों को अतिरिक्त सुविधा:-

यदि किसी श्रेणी की योग्यताक्रम (मेरिट) सूची के ऐसे उम्मीदवार, जो मध्यप्रदेश राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अथवा गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के व्यक्तियों के पुत्र/पुत्री हों तथा किसी संस्था विशेष में प्रवेश लेने के इच्छुक हों, तो उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया में उनके वर्तमान निवास स्थान के जिले में स्थित मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा शासकीय एवं अनुदान प्राप्त पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों का आवंटन किया जा सकेगा परंतु उन्हें ब्रांच का आवंटन प्रवेशित संस्था में उनकी मेरिट के आधार पर किया जावेगा। इन उम्मीदवारों के लिये इस प्रकार इच्छित संस्था का चुनाव मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा शासकीय एवं अनुदान प्राप्त पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में पूरी स्वीकृत प्रवेश क्षमता तक उपलब्ध रहेगा। ऐसे उम्मीदवारों को उनके वर्तमान निवास स्थान के जिले के अतिरिक्त अन्य स्थानों में स्थित संस्थाओं में उपरोक्त सुविधा का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

नोट:- जिस भी जिले में मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालय तथा शासकीय एवं अनुदान प्राप्त पोलीटेकनिक महाविद्यालय तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय संचालित नहीं हैं, उस जिले के संबंधित संभाग में, मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालय तथा शासकीय एवं अनुदान प्राप्त पोलीटेकनिक महाविद्यालय तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में, उम्मीदवार को पात्रतानुसार प्रवेश प्राप्त करने की सुविधा रहेगी।

महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में **प्रवेश की पात्रता कंडिका 1.4.2.3.5 के अनुसार रहेगी।**

टिप्पणीः-

1. **चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारीः** मध्यप्रदेश राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को अपने पिता/माता के नियोक्ता से इस आशय का प्रमाण पत्र कि उनके पिता/माता राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, प्राप्त कर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

2. गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के व्यक्तियों के पुत्र/पुत्रियों को इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उनके पिता/माता गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

1.4.2.8 एन.आर.आई. (NRI) सीटें:

ऐसी समस्त संस्थाओं में जिनमें एआईसीटीई द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम "प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, **2011"** दिनांक 19 मई, **2011** के अनुसार दिये जावेंगे।

1.5 प्रवेश हेतु पात्रता:-

1.5.1 जो भारत का नागरिक हो

1.5.2 शैक्षणिक अर्हता

पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के प्रथम वर्ष मे प्रवेश हेतु उम्मीदवार का माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2) प्रणाली की दसवीं कक्षा की परीक्षा/SSC परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

नोट :- माइनिंग एण्ड माइन सर्वेइंग/माइन सर्वेइंग पाठ्यक्रमों के लिये महिला उम्मीदवारों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी, साथ ही माइनिंग में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों की आयु 1 जनवरी 2025 को 16 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये, शारीरिक रूप से अक्षम छात्र जो खदानों में कार्य करने के मापदंड के अनुसार नहीं होंगे वे प्रवेश के पात्र नहीं होंगे, निर्धारित मापदण्डों के अनुसार आवंटित संस्था में चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही वे प्रवेश के पात्र होंगे।

1.5.3 मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकतायें (M.P. Domicile Requirements)

शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयीन संस्थाओं की सभी सीटों में प्रवेश हेतु चयन के लिये केवल ऐसे उम्मीदवारों (सैनिक वर्ग के उम्मीदवारों तथा जम्मू-कश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों को छोड़कर) को पात्रता होगी :-

1. जो भारत का नागरिक हो।

2. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक दिनांक 29 जून, 2013 के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिये सक्षम प्राधिकारी (नायब तहसीलदार/तहसीलदार) द्वारा जारी स्थानीय प्रमाण-पत्र **<u>प्रारूप-6</u>** अनुसार प्रस्तुत करना आवश्यक है।

1.6 <u>प्रवेश की रीति</u>

पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के प्रथम वर्ष मे प्रवेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2) प्रणाली की दसवीं कक्षा की परीक्षा/SSC परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मैरिट पर दिये जायेंगे।

1.7 <u>प्रवेश की प्रक्रिया</u>

1.7.1 <u>ऑन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया</u>

<u>(Admission Procedure of Online Off campus Counselling):-</u>

राज्य सरकार द्वारा किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए आन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग (परामर्श) संचालित करने का विनिश्चय किए जाने की दशा में राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए घोषित सक्षम प्राधिकारी, विस्तृत कार्यक्रम को अंतिम रूप देगा और प्रवेश की प्रक्रिया तथा विभिन्न अंतिम तिथियां (कट ऑफ डेट्स) घोषित करते हुए वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा। ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग की प्रवेश प्रक्रिया मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित प्रवेश नियम 2008 यथा संशोधित) के अनुसार रहेगी।

1.7.2 <u>अनिवासी भारतीयों के स्थानों के विरूद्ध प्रवेश की प्रक्रियाः-</u>

1.7.2.1 ऐसी समस्त संस्थाओं में जिनमें एआईसीटीई नई दिल्ली द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम "प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011" दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे।

1.7.2.2 <u>अनिवासी भारतीय के रिक्त स्थानों का संपरिवर्तन</u> -

अनिवासी भारतीयों के रिक्त स्थान, जैसा कि अनिवासी भारतीय के न भरे गये स्थानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश के मूलनिवासियों की सीटों में संविलीन कर, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रवेश दिये जायेंगे।

1.8 प्रवेश हेतु चयन पद्धति :

1.8.1 <u>अंकों में अधिभार</u>

राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं का काउंसलिग के समय तैयार की गई मेरिट सूची में 10 प्रतिशत

अंकों का अधिभार देकर मेरिट सूची में स्थान निर्धारित किया जायेगा। उम्मीदवार को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर स्वर्ण पदक प्राप्त करने के विषय में निर्धारित **<u>प्रारुप-9</u>** में प्रमाण-पत्र संचालक, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त कर, काउंसलिंग (परामर्श) के समय प्रस्तुत करना होगा।

1.8.2 <u>योग्यता क्रम सूचियाँ</u>

1.8.2.1 पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों को संस्था एवं ब्रांच का आवंटन योग्यताक्रम (Common Merit) सूचियों के आधार पर किया जाएगा एवं प्रवेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोजित परामर्श (Counselling) के माध्यम से किये जावेंगे।

1.8.2.2 समान कुल अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Interse Merit)

अर्हकारी परीक्षा में समान कुल अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Interse Merit) निम्नलिखित क्रम को आधार बनाकर निश्चित की जाएगी :-

<u>टिप्पणीः-</u>

1. अर्हकारी परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने पर अधिक आयु वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में ऊपर रखा जावेगा।
2. तत्पश्चात् आयु में भी समानता होने पर उम्मीदवार के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर योग्यताक्रम सूची में रखा जावेगा।
3. राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले ऐसे उम्मीदवार को जो 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार लिए हैं, मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त उस उम्मीदवार से नीचे रखा जाएगा जिसे ऐसा अधिभार प्राप्त नहीं है।
4. ऐसे उम्मीदवार भी प्रवेश के लिये पात्र होगें जिन्होनें अर्हकारी परीक्षा कृपांक (ग्रेस) के साथ उत्तीर्ण की होगी।
5. ऐसे उम्मीदवार जिनकी अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची ग्रेडिंग सिस्टम पर आधारित है, अंकसूची में दिये परिवर्तन सूत्र अनुसार ग्रेड को अंकों में परिवर्तित करना होगा।

1.8.3 प्रवेश प्रक्रिया की सामान्य जानकारी: -

1.8.3.1 शिक्षण शुल्क छूट योजना सीटों एवं जम्मू कश्मीर विस्थापित सीटों के लिये प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के आधार पर तैयार की गई योग्यताक्रम सूचियों के अनुसार केन्द्रीयकृत काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश दिये जा सकेंगे।

1.8.3.2 समस्त प्रवेश काउंसलिंग के माध्यम से किये जावेंगे। काउंसलिंग का कार्यक्रम विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जावेगा। काउंसलिंग

का विस्तृत कार्यक्रम सक्षम प्राधिकारी/ संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाइट **dte.mponline.gov.in** पर उपलब्ध रहेगा। इसके लिये उम्मीदवारों को अलग से कोई भी कॉल लेटर नहीं भेजा जावेगा।

1.8.3.3 **मूल प्रमाणपत्रः-** काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे, सत्यापन उपरान्त उनके मूल प्रमाण-पत्र संस्था द्वारा वापिस कर दिये जायेगें। उम्मीदवारों को टी.सी. एवं माईग्रेशन को छोड़कर अन्य मूल प्रमाण-पत्र प्रवेशित संस्था में जमा नहीं करने हैं।

नोट-: काउंसलिंग पोर्टल के माध्यम से केंद्रीकृत/संस्था स्तर काउंसलिंग (सीएलसी) में, संस्थान/पाठ्यक्रम के आवंटन के बाद, उम्मीदवार को शासन/प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति (एएफआरसी) द्वारा निर्धारित शुल्क तथा मूल टीसी/माइग्रेशन आवंटित संस्था में जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त, यदि उम्मीदवार किसी भी माध्यम से प्रवेश प्राप्त करने के लिये किसी संस्था या व्यक्ति को कोई शुल्क जमा करता है अथवा अपने मूल दस्तावेज जमा करता है/सौंपता है, तो इसके लिये उम्मीवार स्वयं जिम्मेदार होगा।

1.8.3.4 प्रथम वर्ष में पाठ्यक्रम में संस्थाओं के अंतरण हेतु अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

1.8.3.5 सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् संस्थाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

1.9 **<u>प्रवेश का क्रम :-</u>**

1.9.1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीकृत परामर्श (काउंसिलिंग) से उन संस्थाओं के स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे जिन्होंने समुचित प्राधिकारी से इसके लिए अनुज्ञा प्राप्त कर ली है। यह स्थान सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया तथा कार्यक्रम के अनुसार भरे जाएंगे तथा कोई स्थान रिक्त रहने की दशा में यह स्थान **मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये उपलब्ध सीटों** में सम्मिलित किए जाकर केन्द्रीयकृत परामर्श (काउंसलिंग) से भरे जाएंगे।

1.9.2 **मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये उपलब्ध सीटों** के पहले दौर की परामर्श (काउंसिलिंग) में, यदि आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करता है, तो उसे सर्वप्रथम अनारक्षित श्रेणी में सीट आबंटित की जाएगी. यदि अनारक्षित श्रेणी में उसे उसकी प्राथमिकता के अनुसार सीट नहीं प्राप्त होती है, तो उसे उसकी पात्रतानुसार आरक्षित श्रेणी में सीट आबंटित की जाएगी।

ऐसे आबंटन के पश्चात्, रिक्त आरक्षित सीटें पारस्परिक रूप से निम्न क्रम में परिवर्तित एवं आबंटित की जाएंगी अर्थात् अनुसूचित जनजाति से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति से अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग से अनुसूचित जनजाति।

1.9.3 आरक्षित प्रवर्गों के लिए परामर्श (काउंसलिंग) संचालित करने तथा आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सीटों का आबंटन करने के पश्चात्, रिक्त सीटें, यदि कोई हों, अनारक्षित सीटों में संविलीन की जाएंगी और उसके पश्चात् अनारक्षित सीटों पर पुनः आबंटन किया जाएगा।

1.9.4 प्रथम चरण की परामर्श (काउंसलिंग) के पश्चात् स्थान रिक्त रहते हैं तो विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिये रिक्त स्थानों की संख्या एवं प्रवेश के लिये इच्छुक अभ्यर्थियों की अनुमानित संख्या ध्यान में रखते हुये द्वितीय दौर की परामर्श (काउंसलिंग) आयोजित कराये जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।

परामर्श (काउंसलिंग) के उपर्युक्त दौर के पश्चात् यदि स्थान रिक्त रहते हैं तो ऐसे स्थान, प्रवेश नियम 2008 (यथासंशोधित) तथा/अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार, काउंसलिंग सम्पादित की जावेगी।

1.9.5 काउंसिलिंग के अंतिम चरण में मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को प्रवेश देने के उपरांत रिक्त सीटों पर अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिये जा सकेगें।

1.10 **<u>प्रवेश का रद्द किया जानाः-</u>**

(1) यदि किसी प्रक्रम पर यह पाया जाए कि अभ्यर्थी ने किसी संस्था में, मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय, किसी पूर्व सूचना के बिना, संस्था के प्राचार्य या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा।

(2) प्रवेशित सत्र के लिये संवैधानिक निकाय द्वारा जारी शैक्षणिक कैलेंडर प्रभावशाली रहेगा, उक्त कैलेन्डर में प्रवेश निरस्त उपरान्त शुल्क वापसी के लिये निधारिित तिथि के पश्चात, प्रवेश निरस्त कराये जाने पर, शिक्षण शुल्क की वापसी मान्य नहीं होगी।

(3) रद्दकरण के पश्चात् स्थानों की स्थिति: -

प्रवेश के रद्दकरण के कारण या निर्धारित तारीख के भीतर (जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जाए) अभ्यर्थी द्वारा रिपोर्ट न करने के कारण उद्भुत होने वाले रिक्त स्थान, विद्यमान चरण की अपग्रेड प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा (यदि लागू हो तो) या अगले चरण की काउंसिलिंग (यदि संचालित की जाती है) में आवंटन के लिये उपलब्ध कराया जाएगा।

(4) **प्रवेश की अंतिम तिथि** के पश्चात् प्रवेश रद्द करने संबंधी कार्यवाही केवल प्रवेशित संस्था द्वारा ही की जावेगी।

1.11 शिक्षण तथा अन्य फीस:-

राज्य शासन ने डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने वाली विभिन्न संस्थाओं द्वारा उम्मीदवारों से लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क के आदेश समय-समय पर जारी किए है। प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों को प्रचलित शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क प्रवेशित संस्था में जमा करने होगें।

1.12 निर्वचन:-

उम्मीदवारों के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्नों पर तथा प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (Interpretation) संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित होने पर निर्णय लेने में मध्यप्रदेश राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा एवं जिसका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

1.13 उपांतरण:-

मध्यप्रदेश राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन **(Modification)** करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन **(Modification)** बंधनकारी होगा।

1.14 क्षेत्राधिकार:-

किसी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

प्रवेश नियम की प्रति संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाईट https://dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध रहेगी।

मध्यप्रदेश में स्थित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रवेश नियम
सत्र 2025-26

मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम-2007 (क्रमांक 21 सन् 2007) के अंतर्गत दिनांक 15 अप्रैल 2008 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित नियमों के अनुसार सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की पात्रता, प्रवेश की रीति तथा स्थानों के आरक्षण के संबंध में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियमः-

2.1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रवेश नियम, 2008 है।

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित 15 अप्रैल, 2008 से प्रवृत्त है एवं संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू है।

2.2. परिभाषायें:-

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21 सन् 2007) ।

(ख) **"समुचित प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (क) में यथा परिभाषित प्राधिकारी।

(ग) **"प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति"** से अभिप्रेत है, व्यावसायिक शिक्षण संस्था में प्रवेश प्रक्रिया के पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन के लिए तथा प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों से प्रभारित की जाने वाली फीस के निर्धारण के लिए इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार व्दारा गठित समिति।

(घ) **"ए.आई.सी.टी.ई."** से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) द्वारा स्थापित कानूनी निकाय।

(ड.) **"उपाबंध"** से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न उपाबंध।

(छ) **"सक्षम प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है, राज्य सरकार व्दारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी।

(छ-1) **"पाठयक्रम"** से अभिप्रेत हैं कोई पाठयक्रम जिसकी नाम पद्धति समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जा चुकी हैं तथा जिसके लिये किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड या संस्था द्वारा अलग से डिप्लोमा प्रदान किया जाता हैं (जैसे डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल आदि) ।

(ज) **"फीस"** से अभिप्रेत है, शिक्षण फीस सहित समस्त फीस तथा विकास प्रभार।

(झ) **"अनिवासी भारतीय"** का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 115-ग के खण्ड (ड.) में उसके लिए दिया गया है।

(ञ) **"प्राचार्य"** से अभिप्रेत है, संस्था का प्रमुख।

(ट) **"सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था"** से अभिप्रेत है, कोई व्यावसायिक शिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार से आवर्ती वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो तथा जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक निकाय व्दारा स्थापित या पोषित नहीं है;

(ठ) **"व्यावसायिक शिक्षण संस्था"** से अभिप्रेत है, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहा कोई महाविद्यालय या कोई स्कूल या कोई संस्थान, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो राज्य के किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हो जिसमें राज्य विधान मंडल के अधिनियम व्दारा स्थापित या निगमित कोई निजी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 3) की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय होना समझी गई कोई संघटक इकाई सम्मिलित है, और जो व्यावसायिक शिक्षण को विनियमित करने वाले किसी सक्षम कानूनी निकाय व्दारा अनुमोदित या मान्यता प्राप्त हो;

(ड) **"अर्हकारी परीक्षा"** से अभिप्रेत है, उस न्यूनतम अर्हता की परीक्षा जिसको उत्तीर्ण करने पर कोई अभ्यर्थी इन नियमों में यथाविहित सुसंगत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहने हेतु हकदार होता है;

(त) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त की गई हैं, किन्तु परिभाषित नहीं की गई है, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए दिया गया है।

उपरोक्त के अलावा नियम पुस्तिका में उपयोग किये जाने वाले संक्षिप्ताक्षर निम्नानुसार हैः-

1. **"सी.टी.ई."** से अभिप्रेत है कमीशनर टेक्नीकल एजूकेशन , मध्यप्रदेश।
2. **"रा.गां.प्रौ.वि."** से अभिप्रेत हैं राजीव गांधी प्रौद्यौगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल से है।
3. **"मध्यप्रदेश (म.प्र.)"** से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश राज्य जो 01.11.2000 को अस्तित्व में आया है।
4. **"TFW"** से तात्पर्य "शिक्षण शुल्क छूट योजना सीट" है।
5. **"EWS"** से तात्पर्य "मध्यप्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी" है।
6. "**सामान्य पूल**" से अभिप्रेत है, प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 85 प्रतिशत स्थान, जहाँ कुल स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 5 प्रतिशत स्थान अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से और 10 प्रतिशत स्थान संस्थागत प्राथमिकता की श्रेणी से भरे जा रहे हैं वहाँ इसका अर्थ होगा कि प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 95 प्रतिशत स्थान, जहाँ कुल स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 5 प्रतिशत स्थान केवल अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरे जा रहे हों और जहाँ अनिवासी भारतीय तथा संस्थागत प्राथमिकता श्रेणी के अंतर्गत कोई प्रवेश नहीं दिए जा रहे हों, वहाँ इसका अर्थ होगा, प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 100 प्रतिशत स्थान। प्रत्येक संस्था में तथा उसकी प्रत्येक ब्रांच में सामान्य पूल के स्थानों में से 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों (अन्य पिछड़े वर्गों की प्रवर्गों के क्रीमीलियर को छोड़कर) के लिये जैसा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा क्रमशः आरक्षित रखे जायेगें। अनारक्षित सीटों पर प्रवेश के लिये मध्यप्रदेश के मूलनिवासी की बाध्यता लागू नहीं होगी अर्थात् अनारक्षित सीटों पर मध्यप्रदेश के मूलनिवासियों के साथ-साथ अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जावेगा।

2.3. लागू होनाः-

ये नियम ऐसी सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक संस्थाओं (स्ववित्त पोषित) को लागू होंगे, जो इस प्रयोजन के लिए ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा यथा अधिसूचित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों यथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित कर रही संस्थाओं पर लागू होंगें।

2.4. प्रवेश नियमः-

समस्त व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः-

2.4.1 स्थानों की उपलब्धता-

मध्यप्रदेश में विभिन्न संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की संख्या निम्नानुसार हैः-

संस्थाओं के प्रकार	प्रवेश क्षमता की प्रतिशतता
निजी संस्थायें	अ) उन संस्थाओं में जिन्होंने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के लिये और सक्षम प्राधिकारी से संस्थागत प्राथमिकता के अधीन स्थान भरने की अनुज्ञा प्राप्त नही की है, सामान्य पूल में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 100 प्रतिशत।
	ब) उन संस्थाओं में, जिन्होंने प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 5 प्रतिशत तक अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरने के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, किन्तु जिन्होंने संस्थागत प्राथमिकता प्रवर्ग के अधीन स्थान भरने के लिये अपना विकल्प नहीं दिया है, सामान्य पूल में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 95 प्रतिशत (यदि अनिवासी भारतीय स्थान नहीं भरे गए है तो ये स्थान सामान्य पूल के स्थानों में संपरिवर्तित हो जाएंगे)।
	स) उन संस्थाओं में, जिन्होने प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 5 प्रतिशत केवल अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरने के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, तथा जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्थागत प्राथमिकता प्रवर्ग के अधीन 10 प्रतिशत तक स्थान भरने के लिये अनुज्ञा मिल गयी है, सामान्य पूल में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 85 प्रतिशत (यदि अनिवासी भारतीय वाले स्थान नहीं भरे गए है तो ये स्थान सामान्य पूल के स्थानों में संपरिवर्तित हो जाएंगे) ।

(क) विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की अद्यतन जानकारी परामर्श (Counselling) संचालित करने वाले सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट https://dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध कराई जावेगी ।

(ख) यदि किसी नई संस्था को अनुमति प्रदान की जाती है**,** या किसी विद्यमान संस्था में नवीन ब्रांच या विद्यमान ब्रांच की प्रवेश क्षमता में परिवर्तन की जाने की अनुज्ञा उस वर्ष समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है**,** तो उसे परामर्श (काउंसलिंग) में समाविष्ट किया जा सकेगा**,** बशर्ते कि संस्था ने

संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता तथा राज्य सरकार से अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो।

(ख-1) विद्यमान संस्था/पाठ्यक्रमों की निरंतरता अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली/सीओए एवं संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान नहीं की जाती है तो ऐसी संस्थाओं को काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जायेगा।

2.4.2 स्थानों का आवंटन/आरक्षण-

प्रत्येक संस्था में तथा उसकी प्रत्येक ब्रांच में सामान्य पूल के स्थानों में से 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों **(क्रीमीलियर को छोड़कर)** के लिये जैसा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा क्रमशः आरक्षित रखे जायेगें। विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो तो उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में परामर्श के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि उत्तरोत्तर चरण की काउंसिलिंग आयोजित की जाती है तब पिछले चरण के उपरान्त विभिन्न श्रेणियों में रिक्त स्थानों को नियमानुसार पुनः परिवर्तित **(Redistribution)** किया जावेगा।

टिप्पणी:

(1) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से उम्मीदवार केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है।

(2) जिस श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारुप में परामर्श (Counselling) के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

2.4.2.1 मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी:-

ऐसा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) अथवा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित **प्रारुप-1** में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7-2/96/अ.प्र./एक, दिनांक 01

अगस्त, 1996 तथा शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा-निर्देश देखें।)

2.4.2.2 मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) श्रेणी:-

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिये गए निर्धारित **प्रारुप-2** में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र **30 अप्रैल 2022** के पूर्व जारी किया गया हो तो उम्मीदवार को परिवार की कुल वार्षिक आय का नवीनतम आय प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो अथवा आय प्रमाण पत्र संबंधी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार आय बाबत् स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र **प्रारुप-10** में परामर्श के समय प्रस्तुत करना होगा । (देखें मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7-2/96/ आ.प्र./एक, दिनांक 12 मार्च, 1997 एवं आदेश क्रमांक एफ-7-16-2000/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 06.07.2000 तथा शासन द्वारा क्रीमीलेयर के संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश।)

2.4.2.3 जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग (J & K Migrants Seats) हेतु स्थानों का आरक्षण:

कश्मीरी विस्थापित परिवार के पुत्र/पुत्रियों के लिए निजी क्षेत्र की संस्थानों में एक-एक सीट प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त अधिसंख्या के (over and above) आधार पर उपलब्ध रहेगी। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को निर्धारित **प्रारुप-7** में जम्मू एवं कश्मीर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

इसी वर्ग के अंतर्गत मध्यप्रदेश सेवा के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण में रही हो और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू एंव कश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की

हो, को भी आरक्षित स्थानों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता होगी। ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित **प्रारुप-8** में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

2.4.2.4 शिक्षण शुल्क छूट योजना के अंतर्गत उपलब्ध सीट (Tuition Fee Waiver Scheme):

ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा शासित संस्थायें जिसमें गत वर्ष न्यूनतम 50 प्रतिशत प्रवेश हुये हों, ऐसी समस्त संस्थाओं में तीन वर्षीय, डिग्री, डिप्लोमा एवं पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क में छूट की योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी जिसमें प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अधिसंख्य रूप से उपलब्ध होंगे। ऐसे अभ्यर्थी, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय रुपये 8.00 (आठ) लाख रूपये से अधिक न हो, इन स्थानों के लिए प्रवेश हेतु पात्र होंगे। शिक्षण शुल्क में छूट की योजना के अंतर्गत रियायत केवल शिक्षण शुल्क की राशि जैसा कि शासन/प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित की गई हो, तक सीमित होगी और शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य समस्त शुल्क अभ्यर्थियों व्दारा वहन किए जाएंगे। इस श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर, ये स्थान अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरे जाऐंगे। इस श्रेणी के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में अपनी ब्रांच या संस्था परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा। इन स्थानों पर प्रवेश के सभी चरणों में परामर्श (काउंसलिंग) की जावेगी। प्रवेश प्रक्रिया उसी प्रकार से होगी, जैसी कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाए। **इस योजना के अधीन केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी ही प्रवेश के पात्र होंगे।**

2.4.2.5 मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी हेतु आरक्षण:-

समस्त निजी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 02 जुलाई 2019. के अनुसार स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 10% दस प्रतिशत स्थान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) अभ्यर्थियों हेतु उपलब्ध होंगे।

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित **<u>प्रारुप-11</u>** में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 02 जुलाई 2019 तथा शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश एवं सीटों के संबंध में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा जारी अप्रूवल प्रोसेस हेण्डबुक में दिये गए प्रावधान देखें)।

2.4.2.6 एन.आर.आई. (NRI) सीटें:-

ऐसी समस्त संस्थाओं में जिनमें एआईसीटीई द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम "प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011" दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे।

2.5 प्रवेश हेतु पात्रता:

2.5.1 जो भारत का नागरिक हो

2.5.2 शैक्षणिक अर्हता

पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के प्रथम वर्ष मे प्रवेश हेतु उम्मीदवार का माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2) प्रणाली की दसवीं कक्षा की परीक्षा/SSC परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

नोट :- माइनिंग एण्ड माइन सर्वेइंग/माइन सर्वेइंग पाठ्यक्रमों के लिये महिला उम्मीदवारों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी, साथ ही माइनिंग में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों की आयु 1 जनवरी 2025 को 16 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये, शारीरिक रूप से अक्षम छात्र जो खदानों में कार्य करने के मापदंड के अनुसार नहीं होंगे वे प्रवेश के पात्र नहीं होंगे, निर्धारित मापदण्डों के अनुसार आवंटित संस्था में चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही वे प्रवेश के पात्र होंगे।

2.5.3 मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकतायें (M.P. Domicile Requirements)

सामान्य पूल की सीटों जिन पर नियमानुसार मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) आरक्षण का प्रावधान रखा गया है, इन सीटों पर प्रवेश हेतु चयन के लिये पात्रता होगीः-

1. जो भारत का नागरिक हो।
2. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक दिनांक 29 जून, 2013 के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिये सक्षम प्राधिकारी (नायब तहसीलदार/तहसीलदार) द्वारा जारी स्थानीय प्रमाण-पत्र **प्रारुप-6** अनुसार प्रस्तुत करना आवश्यक है।

2.6 प्रवेश की रीति

पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के प्रथम वर्ष मे प्रवेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2) प्रणाली की दसवीं कक्षा की परीक्षा/SSC परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मैरिट पर दिये जायेंगे।

2.7 प्रवेश की प्रक्रिया

2.7.1 ऑनलाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया
(Admission Procedure of Online Off campus Counselling):-

राज्य सरकार द्वारा किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए ऑनलाईन ऑफ़-कैम्पस काउंसलिंग (परामर्श) संचालित करने का विनिश्चय किए जाने की दशा में राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए घोषित सक्षम प्राधिकारी, विस्तृत कार्यक्रम को अंतिम रूप देगा और प्रवेश की प्रक्रिया तथा विभिन्न अंतिम तिथियाँ (कट ऑफ डेट्स) घोषित करते हुए वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा। ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग की प्रवेश प्रक्रिया मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित प्रवेश नियम 2008 (यथा संशोधित) के अनुसार रहेगी।

2.7.2 अनिवासी भारतीयों के स्थानों के विरूद्ध प्रवेश की प्रक्रियाः-

2.7.2.1 ऐसी समस्त संस्थाओं में जिनमें एआईसीटीई द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित

अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम "प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011" दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे।

2.7.2.2 अनिवासी भारतीय के रिक्त स्थानों का संपरिवर्तन -

अनिवासी भारतीयों के रिक्त स्थान, जैसा कि अनिवासी भारतीय के न भरे गये स्थानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सामान्य पूल के स्थानों में संविलीन कर दिए जाएंगे तथा इन स्थानों की पूर्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी।

2.8 प्रवेश हेतु चयन पद्धति:

2.8.1 <u>अंकों में अधिभार</u>

राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं का काउंसलिग के समय तैयार की गई मेरिट सूची में 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर मेरिट सूची में स्थान निर्धारित किया जायेगा। उम्मीदवार को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर स्वर्ण पदक प्राप्त करने के विषय में निर्धारित **<u>प्रारुप-9</u>** में प्रमाण-पत्र संचालक, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त कर, काउंसलिंग (परामर्श) के समय प्रस्तुत करना होगा।

2.8.2 <u>योग्यता क्रम सूचियाँ</u>

2.8.2.1 पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों को संस्था एवं ब्रांच का आवंटन योग्यताक्रम (Common Merit) सूचियों के आधार पर किया जाएगा एवं प्रवेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोजित परामर्श (Counselling) के माध्यम से किये जावेंगे।

2.8.2.2 समान कुल अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Inter-se Merit)

अर्हकारी परीक्षा में समान कुल अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Interse Merit) निम्नलिखित क्रम को आधार बनाकर निश्चित की जाएगी :-

<u>टिप्पणीः-</u>

1. अर्हकारी परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने पर अधिक आयु वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में ऊपर रखा जावेगा।

2. तत्पश्चात् आयु में भी समानता होने पर उम्मीदवार के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर योग्यताक्रम सूची में रखा जावेगा।
3. राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले ऐसे उम्मीदवार को जो 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार लिए हैं, मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त उस उम्मीदवार से नीचे रखा जाएगा जिसे ऐसा अधिभार प्राप्त नहीं है।
4. ऐसे उम्मीदवार भी प्रवेश के लिये पात्र होगें जिन्होनें अर्हकारी परीक्षा कृपांक (ग्रेस) के साथ उत्तीर्ण की होगी।
5. ऐसे उम्मीदवार जिनकी अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची ग्रेडिंग सिस्टम पर आधारित है, अंकसूची में दिये परिवर्तन सूत्र अनुसार ग्रेड को अंकों में परिवर्तित करना होगा।

2.8.3 प्रवेश प्रक्रिया की सामान्य जानकारी:-

2.8.3.1 शिक्षण शुल्क छूट योजना सीटों एवं जम्मू कश्मीर विस्थापित सीटों के लिये प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के आधार पर तैयार की गई योग्यताक्रम सूचियों के अनुसार केन्द्रीयकृत काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश दिये जा सकेंगे।

2.8.3.2 समस्त प्रवेश काउंसलिंग के माध्यम से किये जावेंगे। काउंसलिंग का कार्यक्रम विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जावेगा। काउंसलिंग का विस्तृत कार्यक्रम सक्षम प्राधिकारी/ संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाइट **https://dte.mponline.gov.in** पर उपलब्ध रहेगा। इसके लिये उम्मीदवारों को अलग से कोई भी कॉल लेटर नहीं भेजा जावेगा।

2.8.3.3 **मूल प्रमाणपत्रः-** काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे, सत्यापन उपरान्त उनके मूल प्रमाण-पत्र संस्था द्वारा वापिस कर दिये जायेगें। उम्मीदवारों को टी.सी. एवं माईग्रेशन को छोड़कर अन्य मूल प्रमाण-पत्र प्रवेशित संस्था में जमा नहीं करने हैं।

नोट-: काउंसलिंग पोर्टल के माध्यम से केंद्रीकृत/संस्था स्तर काउंसलिंग (सीएलसी) में, संस्थान/पाठ्यक्रम के आवंटन के बाद, उम्मीदवार को शासन/प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति (एएफआरसी) द्वारा निर्धारित शुल्क तथा मूल टीसी/माइग्रेशन आवंटित संस्था में जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त, यदि उम्मीदवार किसी भी माध्यम से प्रवेश प्राप्त करने के लिये किसी

संस्था या व्यक्ति को कोई शुल्क जमा करता है अथवा अपने मूल दस्तावेज जमा करता है/सौंपता है, तो इसके लिये उम्मीवार स्वयं जिम्मेदार होगा।

2.8.3.4 प्रथम वर्ष में पाठ्यक्रम में संस्थाओं के अंतरण हेतु अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

2.8.3.5 सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् संस्थाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

2.9 प्रवेश का क्रम:-

2.9.1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीकृत परामर्श (काउंसलिग) से उन सस्थाओं के स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे जिन्होंने समुचित प्राधिकारी से इसके लिए अनुज्ञा प्राप्त कर ली है। यह स्थान सक्षम प्राधिकारी व्दारा अधिसूचित प्रक्रिया तथा कार्यक्रम के अनुसार भरे जाएंगे तथा कोई स्थान रिक्त रहने की दशा में यह स्थान समान्य पूल में सम्मिलित किए जाकर केन्द्रीयकृत परामर्श (काउंसलिंग) से भरे जाएंगे।

2.9.2 केवल उन संस्थाओं को, जिन्होंने संस्थागत प्राथमिकता की सीटों **(IPS)** के माध्यम से प्राप्त अतिरिक्त आय से स्नातक, डिप्लोमा एवं पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रवेशित समस्त अभ्यर्थियों को शिक्षण शुल्क में 10 प्रतिशत छूट प्रदान करने की सहमति दी हो, स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत स्थानों को अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के योग्यताक्रम में और एआईसीटीई/राज्य शासन द्वारा निर्धारित पात्रता मानदण्ड पूरा करने पर प्रवेश नियम-2008 (यथा संशोधित) तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार भरने की अनुमति दी जावेगी।

2.9.3 सामान्य पूल के परामर्श (काउंसलिंग) में, यदि आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करता है, तो उसे सर्वप्रथम अनारक्षित श्रेणी में सीट आबंटित की जाएगी. यदि अनारक्षित श्रेणी में उसे उसकी प्राथमिकता के अनुसार सीट नहीं प्राप्त होती है, तो उसे उसकी पात्रतानुसार आरक्षित श्रेणी में सीट आबंटित की जाएगी।

ऐसे आबंटन के पश्चात्, रिक्त आरक्षित सीटें पारस्परिक रूप से निम्न क्रम में परिवर्तित एवं आबंटित की जाएंगी अर्थात् अनुसूचित जनजाति से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति से अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग से अनुसूचित जनजाति।

2.9.4 आरक्षित प्रवर्गों के लिए परामर्श (काउंसलिंग) संचालित करने तथा आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सीटों का आबंटन करने के पश्चात्, रिक्त सीटें, यदि

कोई हों, अनारक्षित सीटों में संविलीन की जाएंगी और उसके पश्चात् अनारक्षित सीटों पर पुनः आबंटन किया जाएगा।

2.9.5 पहले दौर की परामर्श (काउंसलिंग) के पश्चात् स्थान रिक्त रहते हैं तो विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिये रिक्त स्थानों की संख्या एवं प्रवेश के लिये इच्छुक अभ्यर्थियों की अनुमानित संख्या ध्यान में रखते हुये द्वितीय दौर की परामर्श (काउंसलिंग) आयोजित कराये जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा। परामर्श (काउंसलिंग) के उपर्युक्त दौर के पश्चात् यदि स्थान रिक्त रहते हैं तो ऐसे स्थान, प्रवेश नियम 2008 (यथासंशोधित) तथा/अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार, काउंसलिंग सम्पादित की जावेगी।

2.10 प्रवेश का रद्द किया जानाः-

(1) यदि किसी प्रक्रम पर यह पाया जाए कि अभ्यर्थी ने किसी संस्था में, मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी पूर्व सूचना के बिना संस्था के प्राचार्य या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा।

(2) प्रवेशित सत्र के लिये संवैधानिक निकाय द्वारा जारी शैक्षणिक कैलेंडर प्रभावशाली रहेगा, उक्त कैलेन्डर में प्रवेश निरस्त उपरान्त शुल्क वापसी के लिये निर्धारित तिथि के पश्चात, प्रवेश निरस्त कराये जाने पर, शिक्षण शुल्क की वापसी मान्य नहीं होगी।

(3) रद्दकरण के पश्चात स्थानों की स्थिति: -

प्रवेश के रद्दकरण के कारण या निर्धारित तारीख के भीतर (जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जाए) अभ्यर्थी द्वारा रिपोर्ट न करने के कारण उद्भूत होने वाले रिक्त स्थान, विद्यमान चरण की अपग्रेड प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा (यदि लागू हो तो) या अगले चरण की काउंसिलिंग (यदि संचालित की जाती है) में आवंटन के लिये उपलब्ध कराया जाएगा।

(4) प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेश रद्द करने संबंधी कार्यवाही केवल प्रवेशित संस्था द्वारा ही की जावेगी।

2.11 शिक्षण तथा अन्य फीस:-

प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति ने डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने वाली विभिन्न संस्थाओं द्वारा उम्मीदवारों से लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क एवं अन्य

शुल्क के आदेश समय-समय पर जारी किए है। प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों को प्रचलित शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क प्रवेशित संस्था में जमा करने होगें।

संस्थागत प्राथमिकता की सीटों का शिक्षण शुल्क अधिकतम रु. 1.50 लाख प्रतिवर्ष प्रति विद्‍यार्थी संपूर्ण पाठ्‍यक्रम अवधि के लिये देय होगा एवं संस्था विशेष उपर्युक्त सीटों पर इससे कम शिक्षण शुल्क पर भी प्रवेश दे सकेगी तथापि यह शिक्षण शुल्क सामान्य पूल की सीटों के शिक्षण शुल्क से किसी भी परिस्थिति में कम न होगा परन्तु संबंधित संस्था द्‍वारा इस आशय की अग्रिम सूचना समिति को तथा सक्षम प्राधिकारी को देना होगी।

2.12 निर्वचनः-

उम्मीदवारों के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्नों पर तथा प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (Interpretation) संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित होने पर निर्णय लेने में मध्यप्रदेश राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा एवं जिसका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

2.13 उपांतरणः-

मध्यप्रदेश राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन **(Modification)** करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन **(Modification)** बंधनकारी होगा।

2.14 क्षेत्राधिकार:-

किसी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

प्रवेश नियम की प्रति संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाईट **https://dte.mponline.gov.in** पर उपलब्ध रहेगी।

प्रारूप-1

अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.. जिला....................................मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक...................................... प्रकरण क्रमांक........................... प्रमाण पत्र क्रमांक.................................

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी......................................पिता/पति का नाम.. निवासी ग्राम/नगर .... वि.खं.. तहसील.......................... ....जिला... संभाग.. के..जाति/ जनजाति का/ की सदस्य है और इस जाति/ जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह ....जाति/ जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक.......................पर अंकित है। अतः श्री/ श्रीमती/ कुमारी................................ पिता/पति का नाम..अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी................................ के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपए..है।

दिनांक -------------------------- **हस्ताक्षर**

(सील) **प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम**

पदनाम

टिप्पणी

1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जनजाति।
2) केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र मान्य होंगे। (अ)कलेक्टर / डिप्टी कलेक्टर/ एस.डी.ओ.(अनुविभागीय अधिकारी) उपसंभागीय मजिस्ट्रेट/ सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक/अधिकारी,वृहद/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना।

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

<u>प्रारूप-2</u>

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र

स्थायी प्रमाण पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी

(प्रमाणीकरण)

अनुभाग..जिला..मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक.. प्रकरण क्रमांक..
प्रमाण पत्र क्रमांक...

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. पुत्र/पुत्री श्री .... निवासी ग्राम/शहर.. तहसील .... जिला .... मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो .... जाति के हैं जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5 पच्चीस 4-84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23-4-97-चैवन, दिनांक 2 अप्रैल, 1997 तथा इस संदर्भ में समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा अधिमान्य किया गया है और सूची के क्रमांक .... पर अंकित है।

श्री .... और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिला .... संभाग .... में निवास करता है.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गो की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिशिष्ट क्र 380/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.93 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में तथा मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ. 7-26/93/1- आ.प्र., दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट "ई" की अनुसूची के कॉलम (3) में किया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन श्री/श्रीमती/कुमारी.. के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये...है।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक.................................. को प्रवजन कर चुका है।

दिनांक .... **हस्ताक्षर**

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

पदनाम (सील)

प्रारूप-3 (भाग-अ)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण पत्र
भूतपूर्व सैनिक/मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी/स्थायी रूप से दिव्यांग प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक................................ दिनांक..........................

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..जो (प्रवेश परीक्षा संचालित करने वाली एजेंसी का नाम).. द्वारा संचालित (प्रवेश परीक्षा का नाम).. वर्ष...............................के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)...पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी..के पिता/माता हैं-

(अ) थलसेना / वायुसेना / नौसेना के/की एक भूतपूर्व सैनिक है। सेवानिवृत्ति / सेवामुक्ति के समय वे .... पद पर थे / थी उनका सर्विस क्रमांक .... था।

अथवा

(ब) उन्होंने थलसेना / वायुसेना / नौसेना में .... पद पर सर्विस क्रमांक .... के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से दिव्यांग हो गए है/सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष .... में हो चुकी है।

स्थान: .... **जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर**

दिनांकः .... **(कार्यालय सील)**

प्रारूप-3 (भाग-ब)

मध्यप्रदेश में/मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... जो (प्रवेश परीक्षा संचालित करने वाली एजेंसी का नाम) .... द्वारा संचालित (प्रवेश परीक्षा का नाम) .... वर्ष .... के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम) .... पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी .... के पिता/माता है-

(अ) थलसेना / वायुसेना / नौसेना में .... ओहदे पर सर्विस क्रमांक .... के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश में स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ है वे इस इकाई में दिनांक .... से सेवारत है।

अथवा

(ब) उन्होंने थलसेना / वायुसेना / नौसेना में .... के ओहदे पर सर्विस क्रमांक .... के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ है।

स्थान: .... **हस्ताक्षर: आफिसर कमांडिंग**

दिनांकः .... **(कार्यालय सील)**

प्रारूप - 4

भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थाई रूप से मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी (उम्मीदवार का नाम) .... जो (प्रवेश परीक्षा संचालित करने वाली एजेंसी का नाम) .... द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम) .... वर्ष .... के आधार पर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार से.....................................पर (पाठ्यक्रम का नाम) ....पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी .... के पिता/ माता सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक हैं और स्थायी रूप से .... (स्थान) तहसील............................. जिला .... में व्यवस्थापित हो गये है।

स्थान: .... **जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर**

(कार्यालय सील)

दिनांकः ....

प्रारूप - 5

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक.................................   दिनांक..........................

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती .... (उम्मीदवार का नाम) श्री / श्रीमती .... (उम्मीदवार के पिता / माता का नाम) के / वैध (Legitimate) पुत्री / पुत्र है जो श्रीमती .... (स्वतंत्रता संग्राम सैनानी का नाम) के / वैध (Legitimate) पुत्री / पुत्र है।
2. श्री/श्रीमती .... (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम मध्यप्रदेश के जिला .... (जिले का नाम) में संधारित (Maintained) स्वतंत्रता संग्राम सैनानी की पंजी (Register) में क्रमांक .... पर पंजीकृत है।

स्थान: ....   **हस्ताक्षर कलेक्टर**

दिनांकः ....

(कार्यालय सील)

प्रारूप-6

स्थानीय निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

कार्यालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार

टप्पा/तहसील................................. जिला.................................

प्र.क्र   वर्ष............................. दिनांक...........................

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

यहा आवेदक का पासपोर्ट साईज का फोटो लगाया जाये जो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाये

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कु.. पिता/पति...निवासी... तहसील... जिला.................................. (मध्यप्रदेश). राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के लिये प्रभावशील ज्ञाप दिनांक...................................... में निर्धारित मापदण्ड की कण्डिका क्रमांक की पूर्ति करने फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है।

2* प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक.............................दिनांक ....के अधीन आवदेक द्वारा दिये विवरण अनुसार की पत्नी/अवयस्क बच्चे जिनका विवरण नीचे वर्णित है, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हैः-

टीपः- यह प्रमाण पत्र जाति निर्धारण के लिये जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र की जांच में साक्ष्य हेतु विचारार्थ ग्राहय नही होगा।
(आवदेक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर जारी)

ह.तहसील/नायब तहसीलदार
तहसील..
जिला...

*लागू न होने पर काट दें।

- यह प्रमाण पत्र यदि डिजिटल हस्ताक्षर युक्त है तो उसे भी मान्य किया जावेंगा।

प्रारूप-7

जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित उम्मीदवार संबंधी प्रमाण-पत्र

Office of the Zonal Officer

TO WHOM IT MAY CONCERN

Certified that .... S/o or D/o... R/o...Tehsil .... District .... A/P................................... Pin ....is registered from No. .... R/Card No…………………….…..... At S. No. .... of his/her father ration card issued from this zone.

Seal of Tehshildar **Zonal Officer / Tehshildar**

प्रारूप-8

मध्यप्रदेश के अधिकारी / कर्मचारी जिनकी पदस्थापना आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु जम्मू एवं कश्मीर राज्य में की गई का प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी .... आत्मज/आत्मजा/श्री .... जो .... द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम) ....वर्ष............................ के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम) ....में जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित उम्मीदवारों की सीटों के विरूद्ध प्रवेश का उम्मीदवार है ।

श्री.. (उम्मीदवार का नाम) के पिता/माता श्री/श्रीमती.. मध्यप्रदेश सेवा के अधिकारी/ कर्मचारी है जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु दिनांक ....से दिनांक ....तक ....(स्थान का नाम) में रही है ।

स्थान .... **हस्ताक्षर**

दिनांक .... **(सील)**

प्रारूप-9

राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ियो के लिये प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक ....   दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी .... आत्मज/आत्मजा/ श्री .... ने वर्ष .... की .... में भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त खेल संगठनों के अधिकार पत्र पर आयोजित .... राष्ट्रीय प्रतियोगिता में .... स्वर्ण पदक अर्जित किया है ।

स्थान ....

दिनांक ....

संचालक
खेल और युवक कल्याण, मध्यप्रदेश
हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा

(**नोट:-** ओपन, जूनियर, सीनियर एवं नेशनल गेम्स राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को इस हेतु राष्ट्रीय प्रतियोगिता की श्रेणी में नही माना जावेगा।)

(मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार आय बाबत् स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र)

प्रारुप-10

आय बाबत् स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र

(सादे कागज पर)

मैं.. आत्मज श्री..................................... आयु ....वर्ष शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ किः-

1. मैं वर्तमान में .... में निवासरत हूँ।
2. मेरी नाम से ग्राम .... में हैक्टेयर/एकड़ कृषक भूमि है, जिससे मुझे रुपये ....शब्दों में ....की वार्षिक आय होती है।
3. मेरा व्यवसाय ....है, इससे मुझे वार्षिक आय रुपये .... शब्दों में .... है।
4. गृह संपत्ति से मेरी वार्षिक आय रुपये .... शब्दों में .... है।
5. मेरे परिवार निम्नानुसार सदस्य हैः-
   1......................2.........................3............................4............................5
   (परिवार से आशय पति/पत्नि/अवयस्क पुत्र/पुत्री/आश्रित माता या पिता से है)
6. मेरे परिवार के उक्त समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय रुपये .... शब्दों में .... है।
7. मैंने इस शपथ-पत्र के पूर्व कोई आय प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया है/शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अथवा
8. मैंने इस शपथ-पत्र के पूर्व लगभग .... समय पूर्व एक आय प्रमाण -पत्र/शपथ-पत्र राशि .... रुपये वार्षिक का प्राप्त किया/दिया था। मेरी आय अब परिवर्तित हो गई है। अतः परिवर्तित आय राशि .... वार्षिक का आय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। (बिन्दु क्रमांक 7 एवं 8 में जो लागू न हो उसे काट दें।)

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं .... आत्मज/पति श्री .... आयु .... वर्ष, निवासी .... सत्यापन करता/करती हूँ कि शपथ-पत्र की कण्डिका 1 से 8 तक में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापिस लिये जायेंगे। सत्यापन आज दिनांक .... वर्ष .... को स्थान .... में किया गया।

हस्ताक्षर

प्रारूप-11

(सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ 07-11/2019/आ.प्र./एक, दिनांक 02 जुलाई 2019 का संलग्नक)

मध्य प्रदेश शासन

कार्यालय का नाम ....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या.......................

दिनांक-.........................

वित्तीय वर्ष ....के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है, कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पति/पुत्री .... ग्राम/कस्बा .... पोस्ट ऑफिस .... थाना .... तहसील .... जिला .... राज्य .... पिन कोड .... के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य है, क्योंकि वित्तीय वर्ष .... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 08 लाख (आठ लाख रूपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पति नही है:-

I. जिसके पास 5 एकड़ या उससे अधिक भूमि हो (जिसके खसरे में तीन साल से लगातार उसर, पथरीली, बीहड़ भूमि अंकित हो, वह भूमि में शामिल नहीं होगी) ।
II. जिसके पास 1200 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट नगर निगम क्षेत्र में स्थित हो।
III. जिसके पास नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट हो।
IV. नगर परिषद क्षेत्र में जिसके पास 1800 वर्गफुट से ज्यादा का आवासीय मकान/फ्लैट हो ।

2. श्री/ श्रीमती/कुमारी .... जाति................................. के सदस्य है जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडे वर्गों के रूप में अधिसूचित नही है।

आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर...........................(कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम ....

पदनाम ....

अनुविभागीय अधिकारी /तहसीलदार

तालिका
सत्र 2025-26 में पोलीटेकनिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु संभावित संस्थावार एवं ब्रांचवार सीटों की संख्या

S.No.	Institute Name	Branch	Intake
Government			
1	Government Polytechnic College, Agar Malwa	Civil Engineering	60
		Computer Science & Engineering	60
		Electronics & Telecommunication	60
		Mechanical Engineering	60
2	Government Polytechnic College, Bareli	Civil Engineering	60
		Computer Science & Engineering	60
		Electronics & Telecommunication	60
		Mechanical Engineering	60
3	Government Polytechnic College, Datia	Computer Science & Engineering	60
		Electrical Engineering	60
		Electronics & Telecommunication	60
		Mechanical Engineering	60
4	Govt Polytechnic College, Dindori	Automobile Engg	30
		Civil Engineering	54
		Computer Science & Engineering	54
		Mechanical Engineering	60
5	Govt Polytechnic College, Rewa	Computer Hardware & Maintenance	60
		Civil Engineering	60
		Electronics & Telecommunication	60
		Mechanical Engineering	60
6	Govt. Polytechnic College, Alirajpur	Civil Engineering	54
		Electronics & Telecommunication	54
7	Govt. Polytechnic College, Anuppur	Civil Engineering	60
		Computer Science & Engineering	60
		Electrical Engineering	60
		Electronics & Telecommunication	60
		Mechanical Engineering	60
8	Govt. Polytechnic College, Ashoknagar	Civil Engineering	60
		Electrical Engineering	60
		Electronics & Telecommunication	60
		Mechanical Engineering	60
9	Govt. Polytechnic College, Badwani	Computer Hardware & Maintenance	24
		Civil Engineering	24
		Computer Science & Engineering	48
		Information Technology	24

		Refrigeration and Air conditioning	24
10	Govt. Polytechnic College, Balaghat	Civil Engineering	60
		Computer Science & Engineering	60
		Electrical Engineering	60
		Mechanical Engineering	60
11	Govt. Polytechnic College, Betul	Computer Science & Engineering	60
		Electrical Engineering	60
		Electronics & Telecommunication	60
		Mechanical Engineering	60
12	Govt. Polytechnic College, Dabra	Computer Science & Engineering	60
		Electrical Engineering	60
		Electronics & Telecommunication	30
13	Govt. Polytechnic College, Dewas	Computer Science & Engineering	54
		Electronics & Telecommunication	54
		Mechanical Engineering	54
14	Govt. Polytechnic College, Harda	Civil Engineering	54
		Computer Science & Engineering	54
		Electrical Engineering	54
		Mechanical Engineering	54
15	Govt. Polytechnic College, Itarsi	Computer Science & Engineering	60
		Electrical Engineering	60
		Electronics & Telecommunication	60
		Mechanical Engineering	60
16	Govt. Polytechnic College, Jatara	Civil Engineering	60
		Computer Science & Engineering	60
		Electronics & Telecommunication	60
		Mechanical Engineering	60
17	Govt. Polytechnic College, Jawad	Electronics & Telecommunication	60
		Mechanical Engineering	60
18	Govt. Polytechnic College, Katni	Civil Engineering	60
		Computer Science & Engineering	60
		Electrical Engineering	60
		Mechanical Engineering	60
19	Govt. Polytechnic College, Khirsadoh	Civil Engineering	53
		Computer Science & Engineering	53
		Electrical Engineering	53
		Electronics & Telecommunication	53
		Information Technology	48
		Mechanical Engineering	53
		Mining & Mine Surveying	53
20	Govt. Polytechnic College, Khurai	Civil Engineering	54
		Electrical Engineering	54
		Mechanical Engineering	54

21	Govt. Polytechnic College, Mandsaur	Computer Science & Engineering	60
		Electrical Engineering	60
		Electronics & Telecommunication	60
		Mechanical Engineering	60
22	Govt. Polytechnic College, Nasrullaganj	Civil Engineering	60
		Computer Science & Engineering	60
		Electrical Engineering	60
		Electronics & Telecommunication	60
		Textile Tech	60
23	Govt. Polytechnic College, Pachore	Electrical Engineering	44
		Mechanical Engineering	44
24	Govt. Polytechnic College, Pawai	Civil Engineering	60
		Computer Science & Engineering	60
		Electronics & Telecommunication	60
		Mechanical Engineering	60
25	Govt. Polytechnic College, Raghogarh	Computer Science & Engineering	39
		Electronics & Instrumentation	39
		Mechanical Engineering	39
26	Govt. Polytechnic College, Raisen	Civil Engineering	60
		Electrical Engineering	60
		Electronics & Telecommunication	30
		Mechanical Engineering	60
27	Govt. Polytechnic College, Rajgarh	Chemical Engg	60
		Civil Engineering	60
		Electronics & Telecommunication	60
		Mechanical Engineering	60
28	Govt. Polytechnic College, Sanawad	Automobile Engg	22
		Computer Hardware & Maintenance	44
		Civil Engineering	44
		Computer Science & Engineering	44
		Electrical Engineering	44
		Electronics & Telecommunication	44
		Mechanical Engineering	44
29	Govt. Polytechnic College, Satna	Computer Science & Engineering	53
		Cement Tech	49
		Electrical Engineering	53
		Mechanical Engineering	53
30	Govt. Polytechnic College, Sendhwa	Civil Engineering	60
		Electrical Engineering	60
		Electronics & Telecommunication	30
		Mechanical Engineering	60
31	Govt. Polytechnic College, Seoni	Civil Engineering	60
		Computer Science & Engineering	60

		Electrical Engineering	60
		Mechanical Engineering	60
32	Govt. Polytechnic College, Shahdol	Civil Engineering	60
		Computer Science & Engineering	60
		Electrical Engineering	60
		Mechanical Engineering	60
		Mining & Mine Surveying	60
		Mine Surveying	60
33	Govt. Polytechnic College, Shajapur	Electrical Engineering	60
		Mechanical Engineering	60
34	Govt. Polytechnic College, Sheopur	Civil Engineering	54
		Computer Science & Engineering	54
		Mechanical Engineering	54
35	Govt. Polytechnic College, Shivpuri	Computer Science & Engineering	60
		Electrical Engineering	60
		Electronics & Telecommunication	60
		Mechanical Engineering	60
36	Govt. Polytechnic College, Sidhi	Computer Science & Engineering	60
		Electronics & Telecommunication	60
37	Govt. Polytechnic College, Sironj	Civil Engineering	54
		Computer Science & Engineering	54
		Electronics & Telecommunication	54
		Mechanical Engineering	54
38	Govt. Polytechnic College, Tikamgarh	Computer Science & Engineering	48
		Electrical Engineering	54
		Electronics & Telecommunication	30
		Mechanical Engineering	48
39	Govt. Polytechnic College, Umaria	Civil Engineering	60
		Electrical Engineering	60
		Mechanical Engineering	60
		Mining Engineering	60
40	Govt. Polytechnic College, Waidhan	Civil Engineering	45
		Computer Science & Engineering	60
		Electrical Engineering	60
		Electronics & Telecommunication	60
		Mechanical Engineering	60
		Mining & Mine Surveying	60
Government Autonomous			
41	Dr. B.R.A. Govt Polytechnic College, Gwalior	Civil Engineering	60
		Computer Science & Engineering	60
		Electrical Engineering	60
		HOTEL MANAGEMENT AND CATERING TECHNOLOGY	40

		Information Technology	60
		Mechanical Engineering	60
		Textile Tech	60
42	G.T. Govt Polytechnic College, Jaora	Civil Engineering	60
		Computer Science & Engineering	60
		Electrical Engineering	60
		Mechanical Engineering	60
43	Government Polytechnic College Dhar (Declared Autonomous By Government Of Mp)	Computer Science & Engineering	48
		Industrial Electronics	30
		Information Technology	30
		Manufacturing	30
		Mechrtonics	48
44	Govt Polytechnic College, Nowgong	Civil Engineering	54
		Computer Science & Engineering	54
		Electrical Engineering	54
		Electronics & Telecommunication	54
		Mechanical Engineering	54
45	Govt Polytechnic College, Ujjain	Chemical Engg	60
		Computer Science & Engineering	60
		Counstruction Tech and Managment	60
		Electrical Engineering	60
		Electronics & Telecommunication	60
		Information Technology	60
		Mechanical Engineering	60
		Plastic Tech	60
		Refinary and Petro Chemical (Petroleum Technology)	60
46	Govt. Polytechnic College, Damoh	Civil Engineering	44
		Computer Science & Engineering	44
		Electrical Engineering	44
		Electronics & Telecommunication	44
		Mechanical Engineering	44
47	Kala Niketan Govt Polytechnic College, Jabalpur	Automobile Engg	60
		Civil Engineering	60
		Computer Science & Engineering	60
		Electrical Engineering	60
		Electronics & Telecommunication	60
		Information Technology	60
		Mechanical Engineering	60
		Printing Tech	60
48	MJP Govt. Polytechnic College, Khandwa	Civil Engineering	60

		Computer Science & Engineering	60
		Electrical Engineering	60
		Electronics & Telecommunication	60
		Mechanical Engineering	60
		Refrigeration and Air conditioning	60
		Modern Office Management	60
49	S.V. Polytechnic College, Bhopal	Civil Engineering	60
		Computer Science & Engineering	55
		Counstruction Tech and Managment	30
		Electrical Engineering	65
		Electronics & Telecommunication	60
		Information Technology	55
		Mechanical Engineering	60
		Production Engg	60
		Film Technology and TV Production (Cinematography)	60
		Modern Office Management	65
Government [Ambedkar(BOYS)]			
50	Govt. Polytechnic College, Morena	Computer Science & Engineering	10
		Electrical Engineering	10
		Electronics & Telecommunication	5
		Mechanical Engineering	10
51	Government Polytechnic College, Lateri	Civil Engineering	30
		Computer Science & Engineering	30
		Electronics & Telecommunication	30
		Mechanical Engineering	30
Government [Eklavya(CO-ED)]			
52	Government Polytechnic College, Harsud	Civil Engineering	30
		Computer Science & Engineering	30
		Electronics & Telecommunication	30
		Mechanical Engineering	30
Government [GIRLS]			
53	Government Womens Polytechnic College, Gwalior	Computer Science & Engineering	60
		Electronics & Telecommunication	60
		Information Technology	60
		Textile Design	60
		Beauty Culture & Cosmetics	60
		Modern Office Management	60
54	Govt. Womens Polytechnic College, Bhopal	Computer Science & Engineering	60
		Electronics & Telecommunication	60
		Fashion Technology	60

		Modern Office Management	60
55	Govt. Womens Polytechnic College, Jabalpur	Computer Science & Engineering	60
		Electronics & Telecommunication	60
		Fashion Technology	60
		Food Tech	30
		TRAVEL AND TOURISM	30
		Modern Office Management	60
Government [Special Co-Ed]			
56	Government Polytechnic College Hoshangabad (MP)	Civil Engineering	60
		Computer Science & Engineering	60
		Electrical Engineering	60
		Mechanical Engineering	60
		Modern Office Management	60
57	Govt Polytechnic College, Bhind [Special Co-Ed]	Civil Engineering	60
		Computer Science & Engineering	60
		Modern Office Management	60
58	Govt. Polytechnic College, Khargone [Special Co-Ed]	Computer Science & Engineering	44
		Electronics & Telecommunication	44
		Fashion Technology	44
		Information Technology	44
		Modern Office Management	44
59	Govt. Polytechnic College,Panna [Special Co-Ed]	Civil Engineering	60
		Computer Science & Engineering	60
		Mechanical Engineering	60
		Modern Office Management	60
60	Indira Gandhi Govt Polytechnic College, Chhindwara [Special Co-Ed]	Computer Science & Engineering	48
		Modern Office Management	48
61	Jija Mata Govt. Polytechnic College, Burhanpur [Special Co-Ed]	Civil Engineering	30
		Computer Science & Engineering	60
		Electronics & Telecommunication	60
		Fashion Technology	30
		Mechanical Engineering	30
		TRAVEL AND TOURISM	30
		Modern Office Management	60
62	S.R. Government Polytechnic College Sagar[Special Co-Ed]	Computer Science & Engineering	60
		Electronics & Telecommunication	60
		Fashion Technology	60
		Modern Office Management	60

63	V.M. Govt. Polytechnic College, Narsinghpur [Special Co-Ed]	Computer Science & Engineering	60
		Electronics & Telecommunication	60
		Fashion Technology	30
		Modern Office Management	60
Government Autonomous[GIRLS]			
64	Govt. Womens Polytechnic College, Indore	Computer Science & Engineering	54
		Fashion Technology	54
		HOTEL MANAGEMENT AND CATERING TECHNOLOGY	27
Government Aided			
65	SATI (Polytechnic), Vidisha	Automobile Engg	30
		Chemical Engg	90
		Civil Engineering	60
		Computer Science & Engineering	90
		Electrical Engineering	60
		Mechanical Engineering	60
66	Shri Vaishnav Polytechnic College, Indore	Automobile Engg	60
		Civil Engineering	60
		Computer Science & Engineering	60
		Electrical Engineering	60
		Electronics & Telecommunication	60
		Mechanical Engineering	60
		Opto Electronics Engg	30
		Opthalamic Tech	30
		Production Engg	60
		Textile Tech	30
University Owned			
67	Univesity Polytechnic College, RGPV, Bhopal	Civil Engineering	60
		Electrical Engineering	60
		Mechanical Engineering	60
PRIVATE			
68	Adina Institute Of Science And Technology, Sagar	Computer Science & Engineering	60
		Mechanical Engineering	60
69	Aditya College Of Technology & Science, Satna	Civil Engineering	60
		Computer Science & Engineering	60
		Cement Tech	60
		Electrical Engineering	60
		Mechanical Engineering	60
		Mining & Mine Surveying	60
70	All Saints College Of Engineering, Bhopal	Civil Engineering	60

		Electrical & Electronics Engineering	60
		Mechanical Engineering	60
71	Alpine Institute Of Technology, Ujjain	Civil Engineering	60
		Electrical Engineering	60
		Electrical & Mechanical Engg.	60
		Mechanical Engineering	60
72	Astral Institute Of Technology & Research, Indore	Civil Engineering	60
		Mechanical Engineering	60
73	Babulal Tarabai Institute Of Research & Technology, Sagar	Civil Engineering	60
		Computer Science & Engineering	60
		Electrical Engineering	60
		Mechanical Engineering	60
74	BADERIA GLOBAL INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT, JABALPUR (Formerly GLOBAL NATURE CARE SANGATHANS GROUP OF INSTITUTIONS, JABALPUR)	Civil Engineering	60
		COMPUTER SCIENCE	60
		Mechanical Engineering	60
75	Bm College Of Technology, Indore	Civil Engineering	60
		Mechanical Engineering	60
76	Divy Jyoti Engineering College, Sidhi	Civil Engineering	60
		Computer Science & Engineering	60
		Electrical Engineering	60
		Mechanical Engineering	60
		Mining & Mine Surveying	60
77	Girdhar Siksha Evam Samaj Kalyan Samiti Group Of Institutions, Mandideep, Raisen	Civil Engineering	60
		Mechanical Engineering	60
78	Guru Ramdas Khalsa Institute Of Science And Technology, Jabalpur	Automobile Engg	30
		AGRICULTURE ENGINEERING	30
		Civil Engineering	30
		Computer Science & Engineering	30
		DAIRY ENGINEERING	30
		Electrical & Electronics Engineering	30
		Electronics & Telecommunication	30
		FIRE TECHNOLOGY AND SAFETY	30
		Mechanical Engineering	30
		Refrigeration and Air conditioning	30
79	Gyan Sagar College Of Engineering, Sagar	Civil Engineering	60

		Electrical & Electronics Engineering	60
		Mechanical Engineering	60
80	Infinity Management & Engineering College, Sagar	Civil Engineering	60
		Electrical Engineering	60
		Mechanical Engineering	60
81	Jawaharlal Institute Of Technology, Borawan, Khargone	Civil Engineering	60
		Computer Science & Engineering	60
		Electrical & Electronics Engineering	60
		Mechanical Engineering	60
82	Jawaharlal Nehru College Of Technology, Rewa	Civil Engineering	60
		Electrical & Electronics Engineering	60
		Mechanical Engineering	120
83	Kopal Institute Of Science & Technology, Bhopal	Electrical Engineering	60
		Mechanical Engineering	60
84	Lakshmi Narain College Of Technology & Science, Bhopal	Civil Engineering	30
		Mechanical Engineering	60
85	Lakshmi Narain College Of Technology And Science (Rit), Indore	Civil Engineering	60
		Computer Science & Engineering	60
86	Lakshmi Narain College Of Technology And Science, Gwalior	Computer Science & Engineering	60
		Electronics and Communication	30
		Electrical & Electronics Engineering	30
		Information Technology	30
		Mechanical Engineering	30
87	Lakshmi Narain College Of Technology, Indore	Electrical Engineering	60
		Mechanical Engineering	60
88	Lakshmi Narain College Of Technology, Jabalpur	Civil Engineering	60
		Computer Science & Engineering	60
		Electrical Engineering	60
		Mechanical Engineering	60
		Mining & Mine Surveying	60
89	Laxmipati Institute Of Science & Technology, Bhopal	Civil Engineering	60
		Electrical Engineering	60
		Mechanical Engineering	60
90	Mahakal Instute Of Technology, Ujjain	Civil Engineering	30
		Computer Science & Engineering	30

		Electrical Engineering	30
		Mechanical Engineering	30
91	Malwa Institute Of Science & Technology, Indore	Civil Engineering	30
		Computer Science & Engineering	60
		Mechanical Engineering	60
92	Malwa Institute Of Technology, Indore	Civil Engineering	30
		Mechanical Engineering	60
93	Manthan Polytechnic College, Sehore	Civil Engineering	60
		Computer Science & Engineering	60
		Electrical Engineering	60
		Electronics & Telecommunication	60
		Mechanical Engineering	60
94	Millenium Institute Of Technology And Science, Bhopal	Electrical & Electronics Engineering	120
		Mechanical Engineering	60
95	Millenium Institute Of Technology, Bhopal	AIRCRAFT MAINTENANCE ENGINEERING	30
		Civil Engineering	120
		Mechanical Engineering	60
96	Mittal Institute Of Technology, Bhopal	Mechanical Engineering	60
97	NRI Institute Of Research & Technology, Bhopal	Electronics and Communication	30
		Mechanical Engineering	60
		Mining Engineering	60
98	NRI Institute Of Research & Technology, Bhopal (First Shift)	Civil Engineering	30
		Computer Science & Engineering	60
		Electrical Engineering	60
99	Oriental Institute Of Science & Technology, Jabalpur	Civil Engineering	60
		Computer Science & Engineering	60
		Electrical & Electronics Engineering	60
		Electrical Engineering	60
		Mechanical Engineering	60
100	Patel College of Science & Technology, Bhopal	Civil Engineering	60
		Computer Science & Engineering	60
		Electrical Engineering	60
		Electronics & Telecommunication	60
		Information Technology	60
		Mechanical Engineering	60
101	Patel College of Science & Technology, Indore	Civil Engineering	60
		Computer Science & Engineering	120

		Electrical Engineering	60
		Mechanical Engineering	60
102	Radharaman Engineering College, Bhopal	Civil Engineering	120
		Electrical & Electronics Engineering	60
		Mechanical Engineering	60
103	Radiant Institute Of Engineering And Management, Jabalpur	Civil Engineering	60
		Computer Science & Engineering	60
		Electrical & Electronics Engineering	60
		Electrical Engineering	60
		Mechanical Engineering	60
104	Rajeev Gandhi Prodyogiki Mahavidhyalaya, Bhopal	Civil Engineering	60
		Mechanical Engineering	60
105	Ramnath Singh Inst Of Technology & Science, Gwalior	Civil Engineering	60
		Computer Science & Engineering	30
		Electronics and Communication	60
		Information Technology	60
		Mechanical Engineering	60
106	Sagar Institute Of Research & Technology - Excellence, Bhopal (2008)	Civil Engineering	120
		Computer Science & Engineering	60
		Mechanical Engineering	120
107	Saraswati Institute Of Engineering & Technology, Jabalpur	AGRICULTURAL ENGINEERING	60
		Civil Engineering	60
		Computer Science & Engineering	60
		Electrical & Electronics Engineering	60
		Mechanical Engineering	60
108	Satpuda College Of Engineering And Polytechnic, Balaghat	Civil Engineering	60
		Computer Science & Engineering	60
		Electrical Engineering	120
		Mechanical Engineering	120
		Mining & Mine Surveying	120
109	Sendhwa Institute Of Professional Studies, Barwani	Civil Engineering	30
		Electrical Engineering	60
		Mechanical Engineering	30
110	Sgbm Institute Of Technology And Science, Jabalpur	Civil Engineering	60
		Computer Science & Engineering	60
		Electrical Engineering	60

		Mechanical Engineering	60
111	Shiv Kumar Singh Institute Of Technology & Science, Indore	Civil Engineering	60
		Electrical Engineering	60
		Mechanical Engineering	60
112	Shri Balaji Institute Of Technology & Management, Betul	Civil Engineering	60
		Mechanical Engineering	60
113	Shri Ram College Of Technology, Bhopal	Civil Engineering	30
		Electrical & Electronics Engineering	60
		Mechanical Engineering	60
114	Shri Rama Krishna College Of Engineering Science And Management (Srkcesm), Satna	Civil Engineering	60
		Computer Science & Engineering	60
		Electrical Engineering	60
		Mechanical Engineering	60
		Mining & Mine Surveying	60
115	St. Aloysius Institute Of Technology, Jabalpur	Civil Engineering	60
		Mechanical Engineering	60
116	Swami Vivekanand College Of Engineering, Indore	Civil Engineering	60
		Mechanical Engineering	60
117	Takshshila Institute Of Engineering & Technology, Jabalpur	Civil Engineering	60
		Computer Science & Engineering	60
		Electrical & Electronics Engineering	120
		Mechanical Engineering	120
118	Technocrats Institute Of Technology & Science, Bhopal	Electrical & Electronics Engineering	60
		Mechanical Engineering	60
119	Thakur Shiv Kumar Singh Memorial Polytechnic College, Burhanpur	Civil Engineering	60
		Computer Science & Engineering	60
		Electrical Engineering	60
		Mechanical Engineering	60
120	The VITS Polytechnic, Amoudha, Satna	Civil Engineering	60
		Computer Science & Engineering	60
		Electrical Engineering	60
		Mechanical Engineering	60
		Mining & Mine Surveying	60
121	Vidhyapeeth Institute Of Science & Technology, Bhopal	Electrical & Electronics Engineering	60
		Mechanical Engineering	60

122	Vikrant Institute Of Technology & Management Indore	Civil Engineering	60
		Electrical & Electronics Engineering	60
		Mechanical Engineering	120
123	Vindhya Institute Of Technology & Science, Satna	Electrical Engineering	30
		Mechanical Engineering	60
124	VNS Group Of Institutions, Bhopal	Civil Engineering	60
		Mechanical Engineering	60
		Mining & Mine Surveying	60

NOTE: ADDITION / DELETION OF INSTITUTIONS AND INTAKE CAPACITY MAY TAKE PLACE AT THE TIME OF COUNSELING AS PER THE APPROVAL OF AICTE

BRANCH LIST	
Branches Name	**Branches Abrevations**
Advance diploma in tool & die making	ADTDM
AGRICULTURAL ENGINEERING	AGLE
AGRICULTURE ENGINEERING	AGE
AIRCRAFT MAINTENANCE ENGINEERING	AME
Automobile Engg	AE
Cement Tech	CT
Chemical Engg	CHEM
Civil Engineering	Civil
Computer Hardware & Maintenance	CHM
COMPUTER SCIENCE	CS
Computer Science & Engineering	Comp
Counstruction Tech and Managment	CTM
Digital Systems	DS
Electrical & Electronics Engineering	EEE
Electrical & Mechanical Engg.	ELME
Electrical Engineering	ELECT
Electronics & Computer Engg	Electronics & Computer Engg
Electronics & Instrumentation	EI
Electronics & Telecommunication	ET
Electronics and Communication	EC
Fashion Technology	Fashion
Food Tech	FT
HOTEL MANAGEMENT AND CATERING TECHNOLOGY	HMCT
IC MANUFACTURING	ICMANU

Industrial Electronics	IE
Information Technology	IT
Interior Decoration and design	IDD
Interior Design	ID
Manufacturing	MANU
Mech (Industry Integrated)	MechIndI
Mechanical Engineering	MECH
Mechatronics (3 Years)	MET
Mechrtonics	MECHAT
Mine Surveying	MS
Mining & Mine Surveying	MMS
MINING AND MINERAL PROCESSING	MMP
Mining Engineering	Mining
Opthalamic Tech	OT
Opto Electronics Engg	OEE
Plastic Tech	PLT
Printing Tech	PT
Production Engg	PE
Refinary and Petro Chemical (Petroleum Technology)	RPCT
Refrigeration and Air conditioning	RAC
Textile Design	TD
TRAVEL AND TOURISM	TRAT
Film Technology and TV Production (Cinematography)	AV
Beauty Culture & Cosmetics	BCC
Modern Office Management	MOM